इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2019—वैशाख 20, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-892-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएएस., आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर को ताईपे ताईवान में आयोजित होने वाले स्मार्ट सिटी समिट एवं एक्सपो-2019 जो कि दिनांक 25 से 27 मार्च 2019 तक आयोजित है, में भाग लेने के अनुक्रम में दिनांक 28 से 31 मार्च 2019 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019

क्र. ई-1-148-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री अमरपाल सिंह (2009), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
2.	श्री आशीष भार्गव (2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.

क्र. ई-1-160-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे, अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कवीन्द्र कियावत (2000) संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.	आयुक्त-सह-संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.	संभागीय कमिश्नर.

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-876-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तेजस्वी एस. नायक, आयएएस., संचालक, बजट को दिनांक 8 से 18 अप्रैल 2019 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 एवं 19, 20, 21 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस. नायक को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, संचालक, बजट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस. नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस. नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-956-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे, सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 10 से 25 अप्रैल 2019 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019

क्र. ई-1-163-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री शैलबाला अंजना मार्टिन, (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश इन्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल.	कलेक्टर, जिला निवाड़ी.
2.	श्री अक्षय कुमार सिंह (2010) कलेक्टर, जिला निवाड़ी.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-546-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे, (1988) अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग एवं आवासीय आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 13 से 20 जून 2019 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आई.सी.पी. केशरी को अस्थार्यी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग एवं आवासीय आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आई.सी.पी. केशरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई.सी.पी. केशरी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-560-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को दिनांक 15 से 27 अप्रैल 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 28 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार श्री के. के. सिंह, भाप्रसे अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का प्रभार श्रीमती सलीना सिंह भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग तथा विकअ-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे एवं श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे/होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक पोरवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 10 से 14 जून 2019 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 एवं 15, 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-826-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद को दिनांक 06 से 22 जून 2019 तक सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 05 एवं 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-1003-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभय कुमार वर्मा, आयएएस., (2007) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 27 मई से 01 जून 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 26 मई 2019 एवं दिनांक 02 जून 2019 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1018-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री रानी बंसल, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बागली, जिला देवास को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 फरवरी 2019 द्वारा पूर्व में स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 25 फरवरी से 15 मार्च 2019 तक उन्नीस दिन के अनुक्रम में दिनांक 16 मार्च 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक छियालिस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), बागली जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री रानी बंसल, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री रानी बंसल, आयएएस अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2019

क्र. ई-1-180-2019-5-एक.—श्री मुकेश चन्द गुप्ता, भाप्रसे (1998), आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, दी-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री मुकेश चन्द गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज गोविल, भाप्रसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त एवं प्रबंध संचालक, दी-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई (अतिरिक्त प्रभार), केवल प्रबंध संचालक, दी-प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-686-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री फैज अहमद किदवई, आयएएस., (1996) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन, बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 13 से 23 मई 2019 तक ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 मई 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री फैज अहमद किदवई को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री फैज अहमद किदवई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री फैज अहमद किदवई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक, रोजगार को दिनांक 25 मई से 22 जून 2019 तक उन्तीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 5 जून 2019 से 22 जून 2019 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश सम्मिलित है) स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन तथा संचालक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल एवं संचालक, रोजगार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2019

क्र. एफ-5-23-2018-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री हुलुवड़ी. जी. रमेश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
दिनांक 07-02-2019 से दिनांक 13-02-2019.	07	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषा सेतिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-938-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस., अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को दिनांक 05 से 21 फरवरी 2019 तक सत्रह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2019

क्र. ई-5-942-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 से 30 मार्च 2019 तक उन्नीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मार्च 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2019

क्र. एफ-1(ए) 107-2002-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (सायबर) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 06 से 14 मई 2019 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 05 मई 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री अशोक खलको, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सायबर, पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (सायबर) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 267-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री यू. के. लाल, भापुसे महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल को दिनांक 06 से 07 जून 2019 तक कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 05 व 8-9 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में केदारनाथ धाम (उत्तरांचल) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. श्री यू. के. लाल - स्वयं
2. श्रीमती रंजना लाल - पत्नि
3. कु. सौम्या श्रीवास्तव - पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, महानिदेशक/अध्यक्ष, म. प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 74-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दि. 25 जनवरी 2019 द्वारा श्री राजेश सिंह चंदेल, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, सिहोर वर्तमान समनि/स्टाफ ऑफीसर टू डीजीपी, पुमु. भोपाल को दिनांक 15 से 25 जनवरी 2019 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26-27 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2018-19 में परिवार सहित पुणे जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री चंदेल, भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सके. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 155-93-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति पुलिस महानिदेशक, सायबर, विशेष अभियान गुप्तवार्ता, पु.मु. भोपाल को स्वयं का उपचार बोम्बे हास्पीटल मुम्बई में कराने हेतु दिनांक 18 अप्रैल 2019, एक दिवस लघुकृत अवकाश अवधि में भोपाल से मुम्बई तक एक सहायक के साथ हवाई यात्रा की अनुमति सहित चिकित्सा हेतु कार्योत्तर स्वीकृति अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1954 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 02 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, सायबर, विशेष अभियान, गुप्तवार्ता, पु.मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व में मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ 1(ए) 72-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को दिनांक 22 मार्च से 17 सितम्बर 2019 तक एक सौ अस्सी दिवस मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भा.पु.से. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अति. पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2019

फा. क्र. 2424-2019-इक्कीस-ब (एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से पूर्व में जारी विभागीय आदेश फा. क्रमांक 3(ए) 4-2014-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में संशोधन कर श्री भैयालाल वर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गंजबासौदा, जिला विदिशा को मध्यप्रदेश शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1) (क) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 15 फरवरी 2013 से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070, के पद पर नियुक्त करता है.

फा. क्र. 2566-इक्कीस-ब(एक)-2019.—राज्य शासन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती गिरिबाला सिंह, का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप इनकी सेवाएं एतद्द्वारा मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल से प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक).—1994 (मेरिट क्रमांक 67), राज्य शासन सुश्री वैशाली पटेलिया पुत्री श्री रमेश कुमार पटेलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 25 फरवरी 1992 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक).—2571 (मेरिट क्रमांक 45), राज्य शासन श्री मुदित लटौरिया पुत्र श्री मनोज लटौरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 6 अक्टूबर, 1992 है.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2019

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक).—2531 (मेरिट क्रमांक 106), राज्य शासन श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर पुत्र श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 19 नवम्बर 1994 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक).—2641 (मेरिट क्रमांक 82), राज्य शासन सुश्री अन्नपूर्णा यादव पुत्री श्री चन्द्रभान यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 फरवरी 1985 है.

फा. क्र. 3(ए) 2018-इक्कीस-ब(एक).—2643 (मेरिट क्रमांक 03), राज्य शासन श्री आलोक कुमार पुत्र स्व. श्री जनार्दन मिश्रा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित के नियम 5(1) (ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 मार्च 1982 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2019

क्र. 2433-1000-2019-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री विवेक कुमार चंदेल, JMFC

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अशोक नगर	अशोकनगर	श्रीमती नेहा श्रीवास्तव, JMFC
3	भिण्ड	भिण्ड	श्री विनोद कुमार वर्मा, JMFC
4	भोपाल	भोपाल	श्रीमती प्रीति साल्वे, JMFC
5	बुरहानपुर	बुरहानपुर	कु. शीतल बघेल, JMFC
6	दतिया	दतिया	कु. प्रीति अग्रवाल, JMFC (Officiating Principal Magistrate).
7	डिंडोरी	डिंडोरी	श्रीमती बिंदिया पाठक, JMFC
8	खंडवा	खंडवा	कु. मधुलिका मुले, JMFC
9	हरदा	हरदा	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव, JMFC
10	मंदसौर	मंदसौर	श्रीमती मंजु सिंह, JMFC
11	नीमच	नीमच	कु. सुषमा उपमन, JMFC
12	राजगढ़	राजगढ़	कु. अपूर्वा ताम्रकार, JMFC
13	रीवा	रीवा	कु. उषा उईके, JMFC
14	सागर	सागर	श्रीमती शालू सिरोही चौकसे, JMFC
15	सतना	सतना	श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय, JMFC
16	सीहोर	सीहोर	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, JMFC
17	शहडोल	शहडोल	श्री विवेक कुमार सिंह, JMFC
18	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती शर्मिला बिलवार, JMFC
19	शिवपुरी	शिवपुरी	श्रीमती रानो बघेल, JMFC
20	सीधी	सीधी	कु. रीनू यादव, JMFC (Officiating Principal Magistrate).
21	सिंगरौली	सिंगरौली	श्रीमती बबीता होरा शर्मा, JMFC
22	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीमती सुनीता गोयल, JMFC
23	उमरिया	उमरिया	कु. प्रीतांजली सिंह, JMFC (Officiating Principal Magistrate).
24	विदिशा	विदिशा	श्रीमती सोनम वर्मा, JMFC
25	खरगोन मण्डलेश्वर	खरगोन मण्डलेश्वर	श्रीमती आरती ढींगरा, JMFC
26	आगर-मालवा.	आगर-मालवा.	श्री सत्यम पाण्डेय, JMFC.

No. 2433-1000-2019-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alirajpur	Alirajpur	Shri Vivek Kumar Chandel, JMFC
2	Ashoknagar	Ashoknagar	Smt. Neha Shrivastav, JMFC
3	Bhind	Bhind	Shri Vinod Kumar Verma, JMFC
4	Bhopal	Bhopal	Smt. Preeti Salvey, JMFC
5	Burhanpur	Burhanpur	Ku. Sheetal Baghel, JMFC
6	Datia	Datia	Ku. Preeti Agrawal, JMFC (Officiating Principal Magistrate).
7	Dindori	Dindori	Smt. Bindiya Pathak, JMFC
8	Khandwa	khandwa	Ku. Madhulika Muley, JMFC
9	Harda	Harda	Smt. Anuja Shrivastav, JMFC
10	Mandsaur	Mandsaur	Smt. Manju Singh, JMFC
11	Neemuch	Neemuch	Ku. Sushma Upamman, JMFC
12	Rajgarh	Rajgarh	Ku. Aporva Tamrakar, JMFC
13	Rewa	Rewa	Ku. Usha Uikey, JMFC
14	Sagar	Sagar	Smt. Shalu Sirohi Chowkesy, JMFC
15	Satna	Satna	Smt. Mona Shukla Pandey, JMFC
16	Sehore	Sehore	Smt. Kiran Tumrachi Dhruvey, JMFC
17	Shahdol	Shahdol	Shri Vivek Kumar Singh, JMFC
18	Shajapur	Shajapur	Smt. Sharmila Bilwar, JMFC
19	Shivpuri	Shivpuri	Smt. Rano Baghel, JMFC
20	Sidhi	Sidhi	Ku. Renu Yadav, JMFC (Officiating Principal Magistrate).
21	Singrauli	Singrauli	Smt. Babita Hora Sharma, JMFC
22	Tikamgarh	Tikamgarh	Smt. Sunita Goyal, JMFC
23	Umaria	Umaria	Ku. Pritanjali Singh, JMFC (Official Principal Magistrate).
24	Vidisha	Vidisha	Smt. Sonam Verma, JMFC
25	Khargone Mandleshwar	Khargone Mandleshwar	Smt. Arti Dhingra, JMFC
26	Agar Malwa	Agar Malwa	Shri Satyam Pandey, JMFC.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. ठाकुर, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-14-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°59' 33.10'' से N 23°59' 53.73'' उत्तर अक्षांश तथा E 79°3' 58.02'' से E 79°4' 29.93'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर तहसील : बण्डा

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.) वन परिक्षेत्र : बण्डा

		वनखण्ड की भूमि का विवरण				
अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मलकपुर	मलकपुर	बड़ा झाड़	4/2	53.50	**उत्तर** —राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा, ग्रामीण सड़क. **पूर्व**—राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा, ग्रामीण सड़क. **दक्षिण**—राजस्व खसरा नंबर 64, 65, 63, 108, 109 की सीमा. **पश्चिम**—राजस्व खसरा नंबर 4 की सीमा.
				योग . .	53.50	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 53.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-14-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2019-दस-3, दिनांक 22 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2019

No. F-25-14-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-23^{0}59, 33.10'' to N-23^0 59' 53.73'' North Latitude and E-79^0 3' 58.02'' to E-79^0 4' 29.93'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar(T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included: Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	Forest Block Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Malakpur	Malakpur	Bada Jhar	4/2	53.50	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 4, village Road.
						East—Boundary of Revenue Kh. No. 4, Village Road.
						South—Boundary of Revenue Kh. No. 64, 65, 63, 108, 109.
						West—Boundary of Revenue Kh. N0. 4.
				Total :	53.50	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 53.50 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-13-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए पर करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन

द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°57' 57.68'' से N 23°58' 00.35'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°18' 21.05'' से E 78°18' 58.42'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : खुरई
वन परिक्षेत्र : खुरई

		वनखण्ड की भूमि का विवरण				
अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महुना कायस्थ	महुना कायस्थ	चरनोई	1/1	50.00	**उत्तर**—राजस्व खसरा नंबर 2, 4/1, 4/2, 5, 6 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 4 कृत्रिम वन सीमा.
				171/2	10.00	**पूर्व**—राजस्व खसरा नंबर 6, 1, 171 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 14 कृत्रिम वन सीमा.
						दक्षिण—राजस्व खसरा नंबर 175 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 14 से 15 कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 171, 1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 15 से 19 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	60.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 60.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-13-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-13-2019-दस-3, दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 29th April 2019

No. F-25-13-2019-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 57' 57.68'' to N 23° 58' 00.35'' North Latitude and E 78° 18' 21.05'' to E 78° 18' 58.42'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Khurai, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Khurai.

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahuna Kayasth	Mahuna Kayasth	Charnoi	1/1 171/2	50.00 10.00	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 2, 4/1, 4/2, 5, 6, New Pillar No. 1 to 4 Articifical Forest Boundary. **East**—Boundary of Revenue Kh. No. 6, 1, 171, New Pillar No. 4 to 14 Articifical Forest Boundary. **South**—Boundary of Revenue Kh. No. 175, New Pillar No. 14 to 15 Articfical Forest Boundary. **West**—Boundary of Revenue Kh. N0. 171, 1, New Pillar No. 15 to 19 Articfical Forest Boundary.
				Total :	60.00	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 60.00hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-16-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°22' 0.77'' से N 24° 22' 24.46' उत्तर अक्षांश तथा E 78°30' 47.63'' से E 78°30' 58.98'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : मालथौन
वन परिक्षेत्र : मालथौन

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण: ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चनारी	चनारी	पहाड़ चट्टान	161	11.29	**उत्तर**—राजस्व खसरा नंबर 160 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक. **पूर्व**—राजस्व खसरा नंबर 162/1 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक. **दक्षिण**—राजस्व खसरा क्रमांक 159 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक. **पश्चिम**—आरक्षित वनखण्ड मालतौन के कक्ष क्रमांक 102 की वन सीमा.
			योग . .		11.29	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.29 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-16-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-16-2019-दस-3, दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 29th April 2019

No. F-25-16-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abriged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24°22' 0.77'' to N-24° 22' 24.46'' North Latitude and E-78° 30' 47.63'' to E-78° 30' 58.98'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Malthone.

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Chanari	Chanari	Pahad Chattan	161	11.29	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 160, New Pillar No. 1 to 2. **East**—Boundary of Revenue Kh. No. 162/1, New Pillar No. 2 to 4. **South**—Boundary of Revenue Kh. No. 159, New Pillar No. 4 to 5. **West**—Boundary of Reserved forest Block Malthone Comtt. 102.
				Total :	11.29	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 11.29 Hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th-02-2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-20-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर रूप भेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°18' 23.42'' से N 24° 18' 39.93'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°32' 7.47'' से E 78°32' 23.09'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर तहसील : मालथौन

वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.) वन परिक्षेत्र : मालथौन

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण: ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मालथौन	मालथौन	पहाड़	597/1/2	13.76	**उत्तर**—राजस्व खसरा नंबर 369, 536, 585, 586, 588 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 10 से 1 तक.
			चट्टान	686/1/2	11.54	**पूर्व**—राजस्व खसरा नंबर 592, 692, 689, 688 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक.
						दक्षिण—राजस्व खसरा क्रमांक 686/2, 596, 681, 636 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक.
						पश्चिम—राजस्व खसरा नंबर 598, 368 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक.
			योग . .		25.30	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.30 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-20-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-20-2019-दस-3, दिनांक 29 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 29th April 2019

No. F-25-20-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act, applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 24° 18' 23.42'' to N 24° 18' 39.93'' North Latitude and E 78° 32' 7.47'' to E 78° 32' 23.09'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Malthone, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Malthone

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Malthone	Malthone	Pahad Chattan	597/1/2 686/1/2	13.76 11.54	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 369, 536, 585, 586, 588 New Pillar No. 10 to 1. **East**—Boundary of Revenue Kh. No. 592, 692, 689, 688 New Pillar No. 1 to 4. **South**—Boundary of Revenue Kh. No. 686/2, 596, 681, 636 New Pillar No. 4 to 9. **West**—Boundary of Revenue Kh. No. 598, 368 New Pillar No. 9 to 10.
				Total :	25.30	

Reason for publication of Notification .—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27th July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar 1190.56 Hectare Non Forest Land was made available and out of the above land 25.30 hactare non Forest land was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under :—

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-11-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर रुप भेदित किये जायें के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 23°59' 33.10'' से N 23° 59' 53.73'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°52' 45.62'' से E 79°04' 29.93'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : बण्डा
वन परिक्षेत्र : बण्डा

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मोकलमऊ	मोकलमऊ	बड़ा	22	24.62	**उत्तर**—राजस्व खसरा नंबर 2, 26, 24, 30 की सीमा, ग्रामीण सड़क.
			झाड़	23	41.78	**पूर्व**—राजस्व खसरा नंबर 165, 168 की सीमा. **दक्षिण**—राजस्व खसरा क्रमांक 178, 180, 182, 186, 187/1, 21 की सीमा. **पश्चिम**—राजस्व खसरा नंबर 11, 9, 8, 5, 4/2 की सीमा.
			योग . .		66.40	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज् में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैरवन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 66.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**—उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**—उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-11-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-11-2019-दस-3, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30th April 2019

No. F-25-11-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 23° 59' 33.10'' to N 23° 59' 53.73'' North Latitude and E 78° 52' 45.62'' to E 79° 04' 29.93'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mokalmau	Mokalmau	Bada Jhar	22 23	24.62 41.78	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 2, 26, 24, 30, Village Road. **East**—Boundary of Revenue Kh. No. 165, 168. **South**—Boundary of Revenue Kh. No. 178, 180, 182, 186, 187/1, 21. **West**—Boundary of Revenue Kh. No. 11, 9, 8, 5, 4/2.
				Total :	66.40	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and in lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land of 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land 66.40 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/ 2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas.

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-17-2019-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त के अधीन रहते हुए करता है कि व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक के वे राज्य शासन द्वारा

समय-समय पर रूप भेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड से N 24°04' 46.08'' से N 24° 05' 09.60'' उत्तर अक्षांश तथा E 78°48' 37.45'' से E 78°49' 15.18'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला : सागर
वन मण्डल : उत्तर सागर (सा.)

तहसील : बण्डा
वन परिक्षेत्र : बण्डा

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अनु क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वनखण्ड की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोटरा	कोटरा	बड़ा झाड़	663/2	40.00	**उत्तर**—राजस्व खसरा नंबर 663 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 3 से 6 कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—राजस्व खसरा नंबर 684, 633, 627 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 6 से 8 कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**—राजस्व खसरा नम्बर 663 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 8 से 1 कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—राजस्व खसरा नंबर 49, 47, 46, 31, 14 की सीमा, नवीन मुनारा क्रमांक 1 से 3 कृत्रिम वन सीमा.
				योग . .	40.00	

अधिसूचना प्रकाशन का आधार:—(1) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015-एफ. सी. दिनांक 27 जुलाई 2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.44 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 1190.56 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 40.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

(2) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के आदेश क्रमांक 988/री.कले./14, दिनांक 12 फरवरी 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

(अ) **व्यक्तिगत अधिकार**—उक्त भूमि पर निरंक व्यक्तिगत अधिकार है.

(ब) **सामुदायिक अधिकार**—उक्त भूमि पर निरंक सामुदायिक अधिकार है.

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2019

क्र. एफ-25-17-2019-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-2019-दस-3, दिनांक 30 अप्रैल 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार खरे, सचिव.

Bhopal, the 30th April 2019

No. F-25-17-2019-X-3.—In exercise of the powers of conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government hereby declares the provision of chapter IV of the said Act applicable to the land, specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities shall not be abridged or affected in any manner, except in so for as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-24^0 04' 46.08'' to N-24^0 05' 09.60'' North Latitude and E-78^0 48' 37.45'' to E-78^0 49' 15.18'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Sagar, Tehsil-Banda, Forest Division-North Sagar (T), Forest Range—Banda

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present Head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kotra	Kotra	Bada Jhar.	663/2	40.00	**North**—Boundary of Revenue Kh. No. 663, New Pillar No. 3 to 6 Revenue Area. **East**—Boundary of Revenue Kh. No. 684, 633, 627, New Pillar No. 6 to 8 Revenue Area. **South**—Boundary of Revenue Kh. No. 663, New Pillar No. 8 to 1 Revenue Area. **West**—Boundary of Revenue Kh. No. 49, 47, 46, 31, 14, New Pillar No. 1 to 3 Revenue Area.
				Total :	40.00	

Reason for publication of Notification :—1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Govt. of India's order No. 8-13/2015-FC Dated 27 July 2016 and lieu of 1024.44 hactare of affected forest land under the sanctioned project of Bina Joint Irrigation and Multipurpose Scheme of E.E.W.R.D. No. 2 Sagar Non Forest Land 1190.56 Hectare was made available and out of the above non Forest land of 40.00 hactare was transfered and muted in favour of Madhya Pradesh Govt., Forest Department by order No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compendatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 988/2014 Date 12th February 2014 of Revenue Collector are as under.

(A) Rights of Individuals:—There are not rights of individulas

(B) Rights of Communities:—There are not rights of communities.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIL KUMAR KHARE, Secy.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2019

क्र. 577-335-58-2019.—

बबीता वसुनिया, अवर सचिव.

संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
6वीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2019

क्र. उद्यान-अ-4-स्था.-लेखा परीक्षा-2016-17-1843.—नवनियुक्त सहायक संचालक उद्यान, राजपत्रित वर्ग-2 की विभागीय लेखा परीक्षा दिनांक 24 मई 2017 को संचालनालय उद्यानिकी, भोपाल में आयोजित की गई थी विभागीय लेखा परीक्षा परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है:—

क्र. (1)	नाम (2)	प्रश्न पत्र प्रथम पूर्णांक (100) (3)	प्रश्न पत्र द्वितीय पूर्णांक (100) (4)	उत्तीर्ण श्रेणी (5)
1.	डॉ. आशा उपवंशी वासेवार, सहायक संचालक, उद्यान.	74	88	उच्च
2.	श्रीमती रीता उईके, सहायक संचालक, उद्यान.	52	78	निम्न
3.	डॉ. नेहा पटेल अमृते, सहायक संचालक, उद्यान.	53	73	निम्न

श्रीमती आशा उपवंशी वासेवार को 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने के कारण उन्हें उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

सत्यानंद, आयुक्त-सह-संचालक.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 12 अप्रैल 2019

क्र. 139-88-स्था.-3721-संशोधित.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-4-2014-एक-4, दिनांक 22 नवम्बर 2014 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-04 के नियम-05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 2019 में बैतूल जिले के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 139-88-स्था.-227 दिनांक 10 जनवरी 2019 के द्वारा स्थानीय अवकाश, घोषित किए गए हैं.

(2) मध्यप्रदेश शासन द्वारा 09 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को "विश्व आदिवासी दिवस" पर सामान्य अवकाश घोषित किया गया है. अत: उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 09 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को "विश्व आदिवासी दिवस" के स्थान पर दिनांक 12 सितम्बर 2019 दिन गुरुवार "अनंत चतुर्दशी" को सम्पूर्ण जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

(3) उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.

तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन, जिला-उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 9 मई 2019

रा. प्र. क्र. 15-अ-82-2018-19-क्र. 2081-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 678/भू–अर्जन/2019, उज्जैन, दिनांक 14.02.2019** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 22/02/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– हामूखेड़ी, प.ह.नं.– 65	297/1/3	0.017
			304/2	0.005
			304/1	0.032
			310	0.026
			311/1 }	0.029
			311/2 }	--
			312	0.050
			313/4	0.017
			313/5	0.024
		कुल योग	8	0.200

रा. प्र. क्र. 01-अ-82-2018-19-क्र. 2082-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6094/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.– 82	87	0.024
			91	0.041
			276	0.024
			95/2/2	0.005
			99	0.045

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम खोकरिया, प.ह.नं.– 82	100	0.016
			102	0.013
			257/2	0.005
			263	0.024
			264	0.024
			265	0.002
			270	0.013
			271	0.010
			272	0.022
			273	0.017
			274	0.007
			275/1	0.024
		कुल योग	17	0.316

रा. प्र. क्र. 08-अ-82-2018-19-क्र. 2083-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6098/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– भंवरी, प.ह.नं.– 80	40/2	0.008
			41/2	0.034
			42/1	0.080
			96/2	0.048

निरंतर– 2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– भंवरी, प.ह.नं.– 80	96/4	0.025
			97	0.002
			176	0.029
			125/2	0.006
			128/1	0.011
			126	0.037
			153/1	0.036
			175	0.023
			177	0.024
			183	0.072
		कुल योग	**14**	**0.435**

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2018-19-क्र. 2084-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6092/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कासमपुर, प.ह.नं.– 82	1/3	0.020
			13	0.041
			14/1	0.040
			359	0.013
			360	0.029

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कासमपुर, प.ह.नं.– 82	372	0.044
			373	0.036
			380	0.036
			381	0.025
			387	0.005
			390	0.019
			388/2	0.002
			389/1	0.009
			389/2	0.016
			400/1	0.029
			400/2	0.003
			401/2	0.017
			402	0.007
		कुल योग	**18**	**0.391**

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2018-19-क्र. 2085-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6088/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29/12/2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– निकेवड़ी, प.ह.नं.– 82	49	0.023
			50	0.067
			52	0.025
			95	0.090
			96	0.005

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– निकेवड़ी, प.ह.नं.– 82	112/2	0.016
			112/3	0.009
			115	0.019
			117/1	0.020
			135	0.025
			154	0.003
			158	0.013
			136	0.030
			152	0.020
			155	0.029
			157/1	0.037
		कुल योग	**16**	**0.431**

रा. प्र. क्र. 16-अ-82-2018-19-क्र. 2086-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 680/भू–अर्जन/2019, उज्जैन, दिनांक 14.02.2019** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 22/02/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– हरियाखेड़ी, प.ह.नं.– 65	10/5	0.024
			10/13	0.033
			10/7	0.018
			10/10	0.027
			10/11	0.014

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– हरियाखेड़ी, प.ह.नं.– 65	11/2	0.021
			123 }	--
			124 }	0.019
			125	0.003
			151/2	0.008
			11/6	0.029
			126	0.016
			127	0.015
			11/7	0.025
			107/7	0.019
			11/8	0.005
			107/8	0.029
			151/1	0.026
			143/1/9901	0.016
			143/1/प्रमन-1	0.016
			142/प्रमन-3	0.003
			143/1/प्रमन-2	0.017
			144/1 }	0.020
			145/195 }	--
			144/2 }	0.020
			151/192/1 }	--
			144/3 }	--
			151/192/2 }	0.005
			144/4	0.005
			181/2	0.005
			144/194	0.002
			150/2	0.012
			181/1	0.036
			179 }	--
			180 }	0.033
		कुल योग	**30**	**0.521**

रा. प्र. क्र. 14-अ-82-2018-19-क्र. 2087-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 678/भू–अर्जन/2019, उज्जैन, दिनांक 14.02.2019** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 22/02/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कुंवारिया, प.ह.नं.– 71	1/2	0.018
			3	0.017
			58	0.012
			61	0.015
			2	0.032

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कुंवारिया, प.ह.नं.– 71	59	0.041
			29	0.015
			30	0.041
			32	0.049
			39/1/1	0.008
			62/1	0.014
			63	0.031
			65	0.014
			76/प्रमन-2	0.020
			71/1	0.007
			71/2	0.032
			72	0.031
			75	0.035
			76/प्रमन-1	0.020
		कुल योग	19	0.452

रा. प्र. क्र. 07-अ-82-2018-19-क्र. 2088-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6104/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम–देवराखेड़ी, प.ह.नं.– 81	41	0.004
			42	0.019
			43/2	0.014
			78/2	0.028
			51	0.004
			54	0.020
			57	0.013
			58	0.019
			107/3	0.003
		कुल योग	**9**	**0.124**

रा. प्र. क्र. 17-अ-82-2018-19-क्र. 2089-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 683/भू–अर्जन/2019, उज्जैन, दिनांक 14.02.2019** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 22/02/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– चंदेसरी, प.ह.नं.– 72	150	0.018
			154/1	0.010
			155/2	0.012
			151/1	0.038
			151/2/मिन-1	0.015
			155/1	0.021
			443	0.022

निरंतर—2

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– चंदेसरी, प.ह.नं.– 72	445	0.021
			156/3	0.026
			166	0.065
			198	0.036
			324	0.017
			326/□मन-1	0.003
			326/□मन-2	0.033
			329/1	0.004
			343	0.030
			437	0.005
			438/1	0.002
			438/2	0.003
			438/3	0.004
			440	0.004
			441/1	0.002
			439	0.005
			537	0.010
			441/2	0.002
			538/1	0.018
			539/1	0.013
			616	0.012
			619	0.036
			620	0.024
			621	0.010
			622	0.010
			624	0.011
			625	0.020
			673	0.018
			674	0.017
			676/2	0.019
			678	0.013
		कुल योग	38	0.629

रा. प्र. क्र. 05-अ-82-2018-19-क्र. 2090-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6096/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	10/1	0.017
			18/1	0.016
			811/3	0.002
			19	0.010
			23	0.003

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	20/1	0.006
			20/2	0.014
			20/963	0.012
			32/प्रमन-2	0.002
			33	0.035
			34	0.009
			35/2	0.024
			85	0.048
			35/1	0.005
			86	0.020
			87/1/1	0.006
			87/1/2	0.002
			127/1/प्रमन-1	0.011
			127/2/2	0.014
			127/3/2	0.012
			129/1	0.014
			132	0.021
			133	0.011
			134	0.026
			135	0.019
			217	0.014
			218/2	0.016
			635	0.007
			218/3	0.005
			633	0.022
			634	0.011
			636/1	0.021
			738/2	0.009
			739	0.006
			740/1	0.021
			742	0.014
			743	0.004
			810/1	0.016
			810/2	0.024
			837	0.024
			811/1	0.027
			811/2	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– खजूरिया रेहवारी, प.ह.नं.– 73	836	0.002
			838	0.016
			839	0.023
			841/1	0.016
			872/2	0.020
			875	0.005
			841/2	0.017
			869	0.018
			870/1	0.009
			870/2	0.043
			871/1	0.015
			881	0.011
			934	0.018
			935	0.032
			954	0.008
			955/1	0.008
			956/1	0.017
			956/2	0.010
			957	0.013
			958	0.002
		कुल योग	62	0.925

रा. प्र. क्र. 06-अ-82-2018-19-क्र. 2091-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6090/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– सेमल्यानसर, प.ह.नं.– 80	118	0.053
			119	0.014
			121	0.026
			122	0.013

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– सेमल्यानसर, प.ह.नं.– 80	123/2	0.017
			124	0.030
			319	0.029
			322/2/1	0.020
			322/2/2	0.007
			322/3/1	0.005
			322/3/2	0.005
			323/1	0.002
			323/2	0.010
			323/3	0.005
			323/4	0.005
			323/5	0.004
			342	0.022
			351	0.004
			343/1	0.020
			343/2	0.023
			345/1/1/1	0.015
			345/1/1/2	0.006
			348/4	0.041
			352/2	0.002
			352/3	0.055
			445/2	0.052
			457/1	0.006
			457/2	0.018
			457/3	0.016
			458	0.008
			459	0.008
			460	0.010
			461	0.008
			463	0.004
			464/1	0.010
			464/2	0.041
		कुल योग	36	0.614

रा. प्र. क्र. 04-अ-82-2018-19-क्र. 2092-भू-अर्जन-2019.—

प्ररुप– "घ"
{ नियम– 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक– 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की **अधिसूचना कमांक– 6106/भू–अर्जन/2018, उज्जैन, दिनांक 29.12.2018** द्वारा, राज्य सरकार ने **ग्राम– मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम– हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला– उज्जैन तक उज्जैनी–उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन के लिये** भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में **दिनांक 04/01/2019** को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा– 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
उज्जैन	उज्जैन	ग्राम– कल्याणपुरा, प.ह.नं.– 73	228/3	0.009
			228/4	0.019
		कुल योग	02	0.028

मुनीषसिंह सिकरवार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).